[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 4th April, 2006]

हरियाणा सरकार

महिला तथा बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2006

संख्या 2981-एस०डब्ल्यू०(3)/2005.—शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 41) की धारा 12 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में उक्त धारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करते हैं, अर्थात् :—

1. राज्य के सभी सिविल सर्जन।
2. राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी।
3. राज्य के जिला हस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षक।
4. राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी प्रभारी।

दलीप सिंह,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

महिला एवं बाल विकास विभाग।

40722—C.S.—H.G.P., Chd.